ओ0ए0 सं0–632 / 2022 समक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–632 / 2022 वी0 के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

आख्या

ओ0ए0 सं0–632 / 2022 पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 एवं 10.10.2023 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि नदी का उद्गम राजाजी नैशनल पार्क से होकर जनपद–हरिद्वार के भगवानपुर एवं रूड़की होते हुये अन्ततः शुक्रताल, (उत्तर प्रदेश) होते हुये गंगा नदी में मिलती है। सोलानी नदी बारहमासी नदी नहीं है, अपितु एक बरसाती नदी है। सोलानी नदी पर सिंचाई हेतु कोई भी हाइड्रोलिक डायवर्जन संरचना निर्मित नहीं है। सोलानी नदी अपने जलागम क्षेत्र (Catchment Area) का उत्प्रवाह स्वयं प्रयुक्त करती है। तकनीकी रूप से नदी का ई–फ्लो सुनिश्चित किया जाना सम्भव नही है। अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की के कार्यक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सोलानी नदी में अतिक्रमण के विषय में अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की ने अपने पत्रांक : 227 / उखगनरू / राज0 अनु0 दिनांक 12.04.2023 (पत्र की छायाप्रति संलग्नक–1) एवं पत्रांक : 616 / उखगनरू / राजस्व अनुभाग / एन0जी0टी0 दिनांक 16.09.2023 (पत्र की छायाप्रति संलग्नक–2) जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की को सम्बोधित है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की के कार्यक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सोलानी नदी पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 एवं 10.10.2023 के अतिक्रमण के सम्बन्ध में अनुपालना सुनिश्चित कर ली गई है।

Submitted to Hon’ble NGT for kind consideration please.

सलंग्नक-01

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

सेवा में,
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
रूड़की

पत्रांकः— 227 /उखगनरू/रा0अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 12.04.2023

विषयः— N.G.T.Original Application No. 632/2022, V.K. Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रूड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने व पानी के बहाव को अवरूद्व करने और पानी को प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 228/पी0ए0/दिनांक 25.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 को अपरान्ह् 11.00 बजे आपके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें इस खण्ड की ओर से श्री मुनेश कुमार शर्मा, उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की उपस्थित हुए थे। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 2 में उपरोक्त मौके पर 13 अतिक्रमणकारियों के नोटिस निर्गत कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण की जॉच सहायक अभियन्ता–तृतीय रूड़की से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं0 105/स0अ0–3/दिनांक 12.04.2023 के अनुसार जिलेदार रूड़की द्वारा 13 अतिक्रमणकारियो (जिनके द्वारा चारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरूद्व नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 में विभाग द्वारा आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कास्त की गई चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। मा0 न्यायालय N.G.T.के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। अवैध कास्त से मुक्त करायी गई भूमि के फोटोग्राफस की छाया प्रति सलग्न है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।
04 प्रति

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

पत्रांकः— 227 /उखगनरू/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'गौरा देवी पर्यावरण' भवन 46बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून–248001
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की।
5. सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सन्दर्भ में।
6. उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की।

संलग्नक-02

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की

पत्रांकः– 616 / उखगनरू / राजस्व अनुभाग / एन0जी0टी0, दिनांकःरुड़कीः 16.09. 2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–632 / 2022 वी0 के0 त्यागी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रुड़की।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 11.04.2023 को आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई चारे इत्यादि की फसल को ट्रेक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था। इस आशय की सूचना आपको इस कार्यालय के पत्रांक 227 / उखगनरू / राजस्व अनुभाग / एन0जी0टी0, दिनांक 12.04.2023 द्वारा संलग्नको सहित प्रेपित की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नही है। मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 की अनुपालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
16/9/23
रुड़की

Scanned with OKEN Scan